अध्याय – V
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

5.1 अनियमित/निष्फल व्यय

योजना मार्गदर्शिकाओं के अनुपालन में कमी के कारण नगर परिषद, सुल्तानगंज ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के प्रशिक्षण घटक पर ₹ 50 लाख का अनियमित भुगतान किया। आठ शहरी स्थानीय निकायों में लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर ₹ 3.91 करोड़ के व्यय के बावजूद गैर सरकारी संगठन प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार मुहैया कराने में विफल रहे।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई), एक केंद्र प्रायोजित योजना जो शहरी गरीबों के बीच रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) द्वारा शहरी बेरोजगारों या अर्द्ध बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ (दिसंबर 1997) किया गया था ताकि उन्हें बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें या वे स्वरोजगार को अपना सकें। एस.जे.एस.आर.वाई को सितंबर 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (रा.श.आ.मि) के रूप में पुनर्गठित एवं पुनर्नामित किया गया तथा एस.जे.एस.आर.वाई के अंतर्गत स्टेप–अप के स्थान पर कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति के माध्यम से रोजगार (इ.एस.टी.एंड पी.) को शामिल किया गया।

स्टेप–अप के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित एजेंसी रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से लाभार्थियों के 30 प्रतिशत की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी था जबकि रा.श.आ.मि. में सफल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का अनुपात बढ़ाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में योजना के कार्यान्वयन में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः

(क) नगर परिषद (न.प.) सुल्तानगंज के अभिलेखों के नमूना जाँच (जुलाई 2015) में पाया गया कि एस.जे.एस.आर.वाई के अंतर्गत सभी पाँच घटकों के लिए न.प. द्वारा ₹ 75 लाख का आवंटन (दिसंबर 2012) प्राप्त किया गया था जिसका 40 प्रतिशत (₹ 30 लाख) स्टेप–अप घटक के लिए निर्धारित था। स्टेप–अप के अंतर्गत उपरोक्त आवंटन के विरूद्ध भौतिक लक्ष्य 350 लाभार्थियों का था तथा प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य 105 (350 का 30 प्रतिशत) था। इस प्रयोजन हेतु, न.प. ने एक गैर–सरकारी संगठन (गै.स.सं.) 'संबोधित' के साथ एक एकरारनामा किया एवं चार ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु कार्यादेश निर्गत (अक्टूबर 2012) किया तथा ₹ 14 लाख का अग्रिम भुगतान किया (फरवरी–मार्च 2013 के दौरान)।

यद्यपि, यह पाया गया कि न.प. ने गै.स.सं. को प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किए जाने के संबंध में सूचित किया था (मई 2013)। उसके बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.), न.प. ने गै.स.सं. को ₹ 14 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया (जुलाई एवं अगस्त 2013 के बीच)। तदुपरांत, गै.स.सं. ने 350 लाभार्थियों के लक्ष्य की बजाय 690 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित ₹ 69 लाख का अंतिम विपत्र समर्पित किया (सितंबर 2013)।

न.प. के का.प. ने गै.स.सं. को सूचित किया (सितंबर 2013 एवं नवंबर 2014) कि उनके द्वारा समर्पित विपत्र फर्जी था और इसलिए प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी दावा न.प. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं ₹ 69 लाख का फर्जी विपत्र समर्पित करने एवं उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली के संबंध में नोटिस निर्गत किया (दिसंबर 2013)। न.प. के का. प. ने फर्जी विपत्र समर्पित करने के लिए गै.स.सं. के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने की बजाय गै.स.सं. को ₹ 22 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर दिया (फरवरी 2014)। इस प्रकार, न.प. द्वारा गै.स.सं. को भुगतान की गई ₹ 50 लाख[82] की राशि अनियमित थी क्योंकि यह गै.स.सं. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के साक्ष्य के बिना भुगतान की गई थी।

न.प. के वर्तमान का.प. ने जवाब दिया (फरवरी 2016) कि गै.स.सं. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न.प. में उपलब्ध नहीं था तथा गै.स.सं. को किया गया अग्रिम भुगतान सरकारी निर्देशों के विरूद्ध था। यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुपालन की जाँच किए बिना ही राशि का भुगतान किया गया था।

मामले को न.वि. एवं आ.वि. को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2016) और प्रधान सचिव, न.वि. एवं आ.वि. ने जिलाधिकारी, भागलपुर को मामले की जाँच करने एवं तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया (मई 2016)। प्रधान सचिव, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा सूचित किया गया (सितंबर 2016) कि प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंधित आवश्यक दस्तावेज गै.स.सं. द्वारा न.प. कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया था (जून 2016) और लेखापरीक्षा द्वारा दस्तावेज की जाँच की जा सकती है।

एक लेखापरीक्षा दल ने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु न.प. कार्यालय का दौरा किया (अक्टूबर 2016) और पाया कि का.प. द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया गया था, लाभार्थियों के बी.पी.एल स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था, 350 के स्वीकृत लक्ष्य की बजाय 690 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति नहीं दी गई थी, टूल किट्स वितरण के विपत्र पर लाभार्थियों की पावती इत्यादि उपलब्ध नहीं थे। न.प. के का.प. ने यह भी बताया (नवंबर 2016) कि गै.स.सं. द्वारा समर्पित अभिलेख वास्तविक नहीं थे तथा गै.स.सं. को भुगतान की गई राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही थी।

(ख) वर्ष 2012–13 के लिए स्टेप–अप तथा वर्ष 2013–16 के लिए रा.श.आ.मि. के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आठ शहरी

[82] *₹ 14 लाख + ₹ 14 लाख + ₹ 22 लाख*

निकायों में निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति एवं गै.स.सं. को प्रशिक्षण हेतु भुगतान की गई राशि नीचे **तालिका 5.1** में दर्शायी गई है:

तालिका – 5.1: नमूना जांचित श.स्था.नि. के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ

घटक	वर्ष	लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)	प्राप्ति (लाभार्थियों की संख्या)	गै.स.सं को भुगताान की गई राशि (₹ करोड़ में)	प्राप्ति का प्रतिशत
स्टेप–अप	2011–12	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	कोई प्राप्ति नही	3.14	शून्य
	2012–13	3350	4168		124
इ.एस.टी. एंड पी.	2013–14	8400	शून्य	0.77	शून्य
	2014–15	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	कोई प्राप्ति नही		शून्य
	2015–16	9720	4860		50
कुल		**21470**	**9028**	**3.91**	

*(**स्रोत**: श.स्था.नि. द्वारा प्रस्तुत सरकारी पत्र एवं सूचना)*

कुल आठ श.स्था.नि.[83] में से दो श.स्था.नि.[84] स्टेप–अप के अंतर्गत वांछित लक्ष्य (प्राप्ति परासः 28 से 45 प्रतिशत) प्राप्त करने में विफल रहे तथा सभी आठ श.स्था.नि मुख्यतः इ.एस.टी.एंड.पी. के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदन करने के लिए एजेंसियों के चयन में विलंब के कारण वांछित लक्ष्य प्राप्ति में विफल रहे।

आगे, यह भी देखा गया कि 3681 लाभार्थियों जिन्हें गै.स.सं. द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, को नियुक्ति प्रदान नहीं किया गया था यद्यपि ₹ 3.91 करोड़ गै.स.सं. को इस शर्त पर विमुक्त किया गया था कि प्रशिक्षित लाभार्थियों को नियुक्ति प्रदान कराई जाएगी। इससे लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ₹ 3.91 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2016); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

5.2 कर राजस्व की हानि

होल्डिंग का वार्षिक किराया मूल्य प्रत्येक पाँच वर्षों में न्यूनतम 15 प्रतिशत की वृद्धि नहीं करने एवं संपत्ति कर का निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर पर वसूली के कारण ₹ 36.56 लाख के कर राजस्व की हानि।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम (बि.न.अ.), 2011 की धारा 127 (13)(i) प्रावधान करता है कि नगरपालिका प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार होल्डिंग[85] के वार्षिक किराया

[83] *आरा, बांका, भागलपुर, छपरा, जमुई, पूर्णिया, सासाराम एवं शिवहर*

[84] *आरा एवं बांका*

[85] *होल्डिंग का अर्थ एक हक या करार के अधीन धारित तथा एक नियत चहारदीवारी के एक सेट से घिरी भूमि*

मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा बि.न.अ. (संशोधित), 2013 की धारा 127 (7)(iii) प्रावधान करता है कि संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग[86] के लिए प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष में न्यूनतम 15 प्रतिशत से बढ़ायी जाएगी। आगे, उपरोक्त अधिनियम की धारा 127(8) प्रावधान करता है कि नगरपालिका द्वारा भूमि एवं भवनों का वार्षिक किराया मूल्य (वा.कि.मू.)[87] न्यूनतम 9 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत अध्यारोपित किया जाएगा एवं कोई नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना टैक्स की दर जो न्यूनतम एवं अधिकतम दर के बीच प्रचलित है, को कम नहीं कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना नगर निगम (प.न.नि.) एवं जमालपुर नगर परिषद द्वारा प्रत्येक पाँच वर्षों में होल्डिंग के वा.कि.मू. का पुनरीक्षण नहीं किया गया था जबकि अमरपुर नगर पंचायत द्वारा वा.कि.मू. के 9 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम दर से भी कम दर पर संपत्ति कर का अध्यारोपण किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क) प.न.नि. के वर्ष 2014–15 के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2016) में यह पाया गया कि होल्डिंगों के वा.कि.मू. का अंतिम पुनरीक्षण 1995–96 में किया गया था एवं इसके उपरांत मार्च 2016 तक इसका पुनरीक्षण नहीं किया गया, जबकि चौथा पुनरीक्षण वर्ष 2015–16[88] में लंबित था। प.न.नि. में 1995–96 में हुए पुनरीक्षण के अनुसार 1033 नमूना जांचित होल्डिंगों[89] का वा.कि.मू. ₹ 6.42 करोड़ था। नमूना जांचित होल्डिंगों के वा.कि.मू. न्यून होने के कारण प.न.नि. को 2014–16 के दौरान ₹ 17.32 लाख की न्यूनतम हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (मार्च 2016) किए जाने पर, अपर नगर आयुक्त, प.न.नि. ने जवाब दिया (मार्च 2016) कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 2013) के आलोक में वा.कि.मू. में बढ़ोतरी नहीं की गई। उनके द्वारा आगे बताया गया कि विभाग से पुनरीक्षण के अनुमोदन हेतु अनुरोध (अगस्त 2015) किया गया था एवं मामला विभाग के पास विचाराधीन था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा होलडिंग के वा.कि.मू. में प्रत्येक पाँच वर्षों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हेतु पूर्व में ही निर्देश (दिसंबर 2013) एवं अधिसूचना (जनवरी 2014) जारी किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों के अनुसार प.न.नि. ने होल्डिंगों के वा.कि.मू. के पुनरीक्षण के अनुमोदन हेतु विभाग (अक्टूबर 2013) से अनुरोध नहीं किया था।

(ख) जमालपुर नगर परिषद (नगर परिषद) में यह पाया गया (मई 2016) कि होल्डिंगों के वा.कि.मू. का अंतिम पुनरीक्षण वर्ष 2007–08 में किया गया था एवं तत्पश्चात् संपत्ति कर उसी दर से मार्च 2016 तक वसूल किया गया, जबकि पुनरीक्षण 2012–13 में ही होना था। परिणामस्वरूप, नगर परिषद को 2014–16 के दौरान संपत्ति कर के रूप में न्यूनत्तम ₹ 13.27 लाख की हानि हुई।

---

[86] *आवासीय, वाणिज्यिक, पक्का, एस्बेस्टस भवन; स्व–उपयोग, किराएदार के उपयोगवाले भवन इत्यादि*

[87] *वा.कि.मू. = कारपेट क्षेत्रफल * किराया मूल्य *अधिभोग गुणक* वर्णित गुणक*

[88] *प्रथम पुनरीक्षण 2000–01 में, द्वितीय 2005–06 में एवं तृतीय 2010–11 में होना था*

[89] *लेखापरीक्षा में केवल 1033 होल्डिंग की माँग उपलब्ध कराई गयी*

इसे इंगित किए जाने पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब दिया (मई 2016) कि होल्डिंगों का पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वा.कि.मू. का पुनरीक्षण 2012–13 में ही देय था एवं उस समय से ही इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए था।

(ग) अमरपुर नगर पंचायत (नगर पंचायत) में यह पाया गया कि संपत्ति कर वा.कि.मू. का न्यूनतम 9 प्रतिशत की दर से वसूलने की बजाय अप्रैल 2006 से ही वा.कि.मू. के 6 प्रतिशत की दर से वसूल की गई थी। परिणामस्वरूप, नगर पंचायत को 2014–16 की अवधि में संपत्ति कर के रूप में ₹ 5.97 लाख की हानि हुई।

नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब दिया कि अप्रैल 2016 से वा.कि.मू. के 9 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर की वसूली की जा रही थी। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा संपत्ति कर, वा.कि.मू. के न्यूनतम 9 प्रतिशत की दर से वसूली हेतु निर्देश पूर्व में ही जारी किया जा चुका था।

इस प्रकार, नगर निकायों द्वारा संपत्ति कर के प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनरीक्षण एवं संपत्ति कर का वा.कि.मू. के 9 प्रतिशत की दर से अध्यारोपित करने एवं वसूली करने के संबंध में बि.न.अ. के प्रावधानों एवं विभाग के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 36.56 लाख[90] के संपत्ति कर की हानि हुई।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2016); स्मार पत्र जारी किए गए (नवंबर 2016); उनका जवाब प्रतिक्षित था।

5.3 अग्रिमों का अनियमित भुगतान

नगर परिषद, सिवान द्वारा सोलर लाईट के अनुरक्षण के लिए अग्रिम भुगतान में संगत वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप एजेंसी को ₹ 80.87 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) के नियम 131(पी), (क्यू)(1) विहित करता है कि सामान्यतः प्रदान किए गए सेवाओं या आपूर्तियों के लिए किया जाने वाला भुगतान, सेवा की प्राप्ति या आपूर्ति के उपरांत ही किया जाना चाहिए। आगे, अग्रिम भुगतान किए जाने के समय, संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु फर्म से पर्याप्त सावधानी/ निष्पादन सुरक्षा डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी इत्यादि (संविदा मूल्य का पाँच से दस प्रतिशत) के रूप में प्राप्त करना चाहिए।

नगर परिषद (न.प.), सीवान के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2016) से यह ज्ञात हुआ कि क्रय समिति की बैठक में, सोलर लाईट की प्राप्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य एक एकरारनामा के अंतर्गत ₹ 26,684 प्रति इकाई की दर पर एक एजेंसी को सौंपा गया था। आगे, क्रय समिति को न.प. के अध्यक्ष की सलाह पर, उक्त एकरारनामा में दो वर्षो के

[90] ₹ 13.27 लाख + ₹ 17.32 लाख + ₹ 5.97 लाख = ₹ 36.56 लाख

लिए निःशुल्क अनुरक्षण सहित 10 वर्षो के लिए 10 प्रतिशत प्रति इकाई प्रति वर्ष की दर से सोलर लाईट के अनुरक्षण का उपबंध शामिल किया गया।

न.प., सिवान ने एजेंसी से 330 सोलर लाईट प्राप्त किया (फरवरी–अप्रैल 2012) एवं उसे कुल ₹ 88.06 लाख की लागत पर न.प. के वार्डों में निर्धारित स्थानों पर अधिष्ठापित किया गया। एकरारनामा के अनुसार, सोलर लाईट का अनुरक्षण दो वर्षो तक निःशुल्क करना था एवं उसके बाद फरवरी–अप्रैल 2014 से भुगतेय अनुरक्षण शुरू होना था। एकरारनामा के शर्तो की अनदेखी कर, न.प. सिवान ने एजेंसी को 330 सोलर लाईटों का अनुरक्षण शुल्क पाँच वर्षो के लिए ₹ 41.08 लाख का अग्रिम भुगतान किया। साथ ही, प्राप्त किए गए सोलर लाईटों की अधिष्ठापन से पूर्व जाँच एवं परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, न.प. द्वारा अनुरक्षण शुल्क का अग्रिम भुगतान किए जाने के कारण दो वर्षो के निःशुल्क अनुरक्षण अवधि के दौरान एजेंसी के प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर गवां दिया और वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं की गई।

आगे, न.प. द्वारा ₹ 23,000 प्रति इकाई की दर से 400 अतिरिक्त सोलर लाईट (एरियन मेक) की प्राप्ति के लिए उसी एजेंसी के साथ एकरारनामा (20 दिसंबर 2012) किया गया जिसमें, पाँच वर्षो (दो वर्षो का निःशुल्क अनुरक्षण अवधि सहित) के लिए सोलर लाईट के अनुरक्षण के लिए उपबंध शामिल था। परंतु, पुनः, एकरारनामा के शर्तो की अनदेखी करते हुए न.प, सिवान (जुलाई–सितंबर 2013) द्वारा एजेंसी को 400 सोलर लाईटों के लिए पाँच वर्षो के लिए अनुरक्षण शुल्क की ₹ 39.79 लाख राशि अग्रिम भुगतान किया गया।

जन–शिकायत होने पर, न.प. सिवान ने एजेंसी के द्वारा अधिष्ठापित अधिकांश सोलर लाईटों के काम नहीं करने के संबंध में एजेंसी को लगातार नोटिस जारी किया (अक्टूबर – दिसंबर 2013) एवं इसके अनुरक्षण हेतु निर्देशित किया, परंतु एजेंसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न.प. ने भी सोलर लाईट के कार्यशील होने की स्थिति का आकलन करने के लिए एक निरीक्षण (दिसंबर 2013) किया एवं पाया कि अनुरक्षण के अभाव में कईं सोलर लाईट कार्य नहीं कर रहे थे और इसलिए, एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न सोलर लाईट के अनुरक्षण नहीं करने के कारण उन्हें भुगतान की गई सभी अनुरक्षण राशि की वसूली की जाय। परंतु, संवेदक ने इस पर न तो कोई प्रतिक्रिया दिया और न ही कोई अनुरक्षण कार्य किया।

जब लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाया गया, तो कार्यपालक पदाधिकारी, न.प. सिवान ने बताया (सितंबर 2016) कि एजेंसी को भुगतान से पहले अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि न.प. ने न केवल बिना निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त किए एवं भुगतेय अनुरक्षण अवधि शुरू होने से पूर्व ही दो वर्षों के पूर्ण अनुरक्षण राशि का भुगतान किया बल्कि न.प. के वित्तीय हितों की रक्षा करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष वित्तीय नियमों के प्रावधान से हटकर स्वीकृति देने के लिए अधिकृत नहीं थे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि न.प. सिवान ने 730 सोलर लाईटों के पूर्ण अनुरक्षण राशि का अग्रिम भुगतान कर एजेंसी को ₹ 80.87 लाख का अनियमित भुगतान किया।

चूँकि संवेदक फरवरी 2012 से ही सोलर स्ट्रीट लाईट के अनुरक्षण में विफल रहा था, फलस्वरूप लाईट अक्रियाशील रहे जिससे ₹ 80.87 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016); स्मार पत्र निर्गत किया गया (नवंबर 2016); उनका जवाब प्रतीक्षित था।

पटना **(धर्मेंद्र कुमार)**

दिनांकः **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**